

नं० ११/२०२३

तारीखरजः- 15/9/23

उनवान:- मोतीराम बनाम जानकी वगै०
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
15/9/23	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायब को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए उभयपक्षकारान को दिनांक 03.10.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 305/0.15, 306/0.18, 306/931/0.20, 353/1073/0.14, 383/0.02, 457/0.20, 458/0.29, 460/0.13, 917/0.21, 918/0.22, 172/0.20, 173/0.17 है० स्थित ग्राम दादनपुर तहसील टोडाभीम में आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा बेचान नहीं करे।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 03.10.2023 को पेश हो।</p>
310/23	<p>पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। न्यायालय अधिकारी..... दिनांक 10.11.23 को पेश हो।</p>

442830
15/9/23


(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
11.6.25	<p>प्रायकी पक्षाकारण के छापीना पत्र ले तसप की गही। पक्षाकारण से इस वापर छापीना पत्र के छ सिपा के छ। पक्षाकारण के मन्थर का जीनामा देखाये। मुकदमे को छोड़े नही चलना चाहेते है। छापीना पक्षाकारण के छापीना पत्र का अपलोकन किना जितने से सहमत है। इससे छापीना छापीना पत्र कास्पायी निपेयाया खासिना किना जाला है। प्रायकी केवलकृमा डेक नाम्का से काम कर करेके डेक है।</p>

मोरारम
 देव
 (अध्यायक)
 अवेकमनी


उष जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)